न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 12/2018

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	बनाम्	देवाराम पुत्र उकाराम उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासी आसोतरा जिला बाड़मेर (टेम्पो संख्या आर.जे.39 जी.ए.1650)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.06.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.6.2017 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने चैकिंग जसोल फांटा बालोतरा प्रातः 9.00 बजे पहुॅचने पर टेम्पो आर.जे.39 जी.ए.1650 खड़ा था, जो दूध परिवहन कर विक्रय हेतु ले जा रहा था। टेम्पो चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम देवाराम पुत्र उकाराम जाति माली निवासी आसोतरा जिला बाड़मेर टेम्पो का मालिक होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में टेम्पो का निरीक्षण करने पर टेम्पो में 35–35 लीटर के दो केन दूध से भरे हुए पाये गये। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 60/– रूपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिरट्रेट बाड़मेर

गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.784 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.784 जॉच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी.784 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/573/एक्ट/2017/573 दिनांक 19.06.2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर (Sub-standard) का पाया गया। प्रकरण में पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफ़िकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.784 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोर्ट केम्प में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजन प्रथम उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण कर न्यूनतम जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया।

4. सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 10.6.2017 को चैकिंग के दौरान् टेम्पो आर.जे.39 जी.ए.1650 का निरीक्षण करने पर टेम्पो में लगभग 35–35 लीटर दूध के दो केन भरे हुए आम जनता को बेचने हेतु रखे हुऐ पाये गये। दूध (मिक्स) का नमूना पी.784 जांच में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन है। जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 51 में जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित करना उचित प्रतीत होता है।

5. उभय पक्षो को सुना। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/573/एक्ट/2017/573 दिनांक 19.6.2017 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी.784 अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी देवाराम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी देवाराम पर 3000/–(अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 06.06. 2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0 बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय में आज तारीख 06.06.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर